POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.11.2025

1. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से गांजा तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम(ओजी, मैंगो, शिलोंग आदि प्रकार) अवैध गांजा एवं पैकिंग मटेरियल बरामद।

कार्यवाही का विवरण— थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक **29.11.2025** को एफएनजी सर्विस रोड, सेक्टर-123 नोएडा से अभियुक्त 1-योगेंद्र प्रताप सिंह पुत्र शिवनंदन सिंह 2-सूरज उर्फ रुद्र पुत्र वीरेंद्र पासवान 3-शिवकेश त्रिपाठी पुत्र रामकुमार त्रिपाठी को कुल 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका— अभियुक्तगण कॉलेजों एवं कॉर्पोरेट ऑफिसों के आसपास छुट्टी एवं लंच के समय जाकर लोगों को ऑनलाइन माध्यम से गांजा उसी की लोकेशन पर उपलब्ध कराने का प्रचार करते थे तथा अपना मोबाइल नंबर उन्हें दे देते थे। ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से उनकी लोकेशन एवं ऑर्डर प्राप्त कर ऑनलाइन भुगतान ले लेते थे। इसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स की तर्ज पर पैकिंग पॉलीथीन का उपयोग कर गांजा पैक करते तथा निर्धारित लोकेशन पर पहुँचा देते थे। ऐसा करने से यदि डिलीवरी के दौरान कोई पकड़ा जाता, तो राइडर ही पकड़ा जाता था और ये लोग बच निकलते थे। अभियुक्तगण एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर गांजा सप्लाई करते थे तथा पैकिंग के लिए नामी-ग्रामी कंपनियों की कवर पैकिंग पॉलीथीन और उस पर फर्जी ऑर्डर रसीद लगाते थे जिससे किसी को शक न हो। मुख्य अभियुक्त योगेंद्र प्रताप सिंह पूर्व में नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वहीं उसके साथी कुछ लोग मादक पदार्थों का सेवन करते थे। इसी क्रम में उसने स्वयं गांजा उपलब्ध कराना शुरू किया और धीरे-धीरे एनसीआर क्षेत्र में इसकी सप्लाई बढ़ाने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1- योगेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र शिवनंदन सिंह मूल निवासी ग्राम रोहिली थाना तालग्राम जिला कन्नौज हाल पता— बहलोलपुर गली नं. 22 थाना सेक्टर-63 नोएडा शिक्षा— 12वीं, उम्र— 26 वर्ष

2-सूरज उर्फ रुद्र, पुत्र वीरेंद्र पासवान मूल निवासी ग्राम चरघाट चिनार जिला नालंदा बिहार हाल निवासी— गली नं. 9 गढ़ी चौखंडी थाना फेस-3 नोएडा शिक्षा— 10वीं, उम्र— 21 वर्ष

3-शिवकेश त्रिपाठी, पुत्र रामकुमार त्रिपाठी मूल निवासी उबरीखेड़ा पोस्ट कमालपुर, थाना पचदेवरा जिला हरदोई हाल निवासी— गली नं. 11 गढ़ी चौखंडी थाना फेस-3 नोएडा शिक्षा— 12वीं एवं आईटीआई, उम्र— 23 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास—
(1) योगेंद्र प्रताप सिंह
1-मु0अ0सं0 347/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर
2-मु0अ0सं0 179/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर
3-मु0अ0सं0 493/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर

(2) सूरज उर्फ रुद्र
1-मु0अ0सं0 493/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर

(3) शिवकेश त्रिपाठी
1-मु0अ0सं0 493/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण—
10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा
नामी-ग्रामी कंपनियों की कवर पैकिंग पॉलीथीन एवं अन्य पैकिंग मटेरियल

2. थाना सेक्टर -20 पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा दिनांक **29.11.2025** को अभियुक्त मंगल पुत्र दऊआ को ग्राम निठारी से अवैध शस्त्र के साथ **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- मंगल पुत्र दऊआ निवासी झुग्गी-झोपडी भगत सिंह पार्क के पास सै0-31 थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम बरबली थाना खन्ना जिला महोबा उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
01 अवैध तमंचा .315 बोर
01 जिन्दा कारतूस .315 बोर